न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
015/2023(रसद) (GCMS 2023/212)	07.08.2023	30.01.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पिता परसराम तेली निवासी बोजून्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी एक तरफा — पैरोकार सरकार विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.07.2023 को बोजून्दा गांव में आगजनी की सूचना सदर थाना चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राप्त हुई। सूचना में बताया गया कि बोजून्दा गांव में कन्हैयालाल पिता परसराम तेली के बाडे में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण के कारण भीषण आग लग गई है। उक्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ मय टीम घटना स्थल पर पहुॅचे तो पाया गया कि बोजून्दा गांव में कन्हैयालाल तेली के बाडे में भीषण आग लगी हुई है मौके पर अग्निशमन वाहनों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस जाब्ता मौजूद था। दिनांक 20.07.2023 को प्रातः पुनः घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। बाडे में प्लास्टिक के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए ड्रम जल चुके थे। दो लोहे के ड्रम बाहर से पूरे जले हुए थे परन्तु अन्दर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। मौके पर उपस्थित ग्रामीण जनों एवं पुलिस जाप्ते के बीच पेट्रोलियम पदार्थ का मापन किया गया। एक ड्रम में 210 लीटर एवं दूसरे में 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ ए–1, ए–2, ए–3 नमूने लिये गये तथा फर्द नमूना तैयार की गई। नमूना ए–1 वास्ते एफएसएल जांच पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर दोनो ड्रम को मय 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अभिग्रहित कर सदर थाना चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द अभिग्रहण मय सुदुर्गगीनामा तैयार किया गया। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट आगजनी के दिन ही सदर पुलिस थाना द्वारा दर्ज कर ली गई थी। अग्निशमन के पश्चात् पेट्रोलियम पदार्थ पाये जाने के कारण रसद विभाग द्वारा पृथक से कार्यवाही की गई। कन्हैयालाल पिता परसराम तेली हाल निवासी बोजून्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल आदेश 2005, सॉल्वेंट, रेफिनेट एण्ड स्लॉक आदेश 2000 एवं नाफ्ता आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित लोहे के 2 ड्रम एवं जिनमें कुल 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 31.10.2023 को विपक्षी के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

दिनांक 30.01.2024 को पैरोकार सरकार हाजिर आये एवं बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि 19.07.2023 को बोजून्दा गांव में आगजनी की सूचना सदर थाना चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राप्त हुई। सूचना में बताया गया कि बोजून्दा गांव में कन्हैयालाल पिता परसराम तेली के बाडे में पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण के कारण भीषण आग लग गई है। उक्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ मय टीम घटना स्थल पर पहुॅचे तो पाया गया कि बोजून्दा गांव में कन्हैयालाल तेली के बाडे में भीषण आग लगी हुई है मौके पर अग्निशमन वाहनों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। मौके पर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस जाब्ता मौजूद था। दिनांक 20.07.2023 को प्रातः पुनः घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। बाडे में प्लास्टिक के पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए ड्रम जल चुके थे। दो लोहे के ड्रम बाहर से पूरे जले हुए थे परन्तु अन्दर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था। मौके पर उपस्थित ग्रामीण जनों एवं पुलिस जाप्ते के बीच पेट्रोलियम पदार्थ का मापन किया गया। एक ड्रम में 210 लीटर एवं दूसरे में 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ ए–1, ए–2, ए–3 नमूने लिये गये तथा फर्द नमूना तैयार की गई। नमूना ए–1 वास्ते एफएसएल जांच पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर दोनो ड्रम को मय 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अभिग्रहित कर सदर थाना चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द अभिग्रहण मय सुदुर्गगीनामा तैयार किया गया। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट आगजनी के दिन ही सदर पुलिस थाना द्वारा दर्ज कर ली गई थी। अग्निशमन के पश्चात् पेट्रोलियम पदार्थ पाये जाने के कारण रसद विभाग द्वारा पृथक से कार्यवाही की गई। कन्हैयालाल पिता परसराम तेली हाल निवासी बोजून्दा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 3 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल आदेश 2005, सॉल्वेंट, रेफिनेट एण्ड स्लॉक आदेश 2000 एवं नाफ्ता आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है। सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर ही की गई जिसकी पुष्टि फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा से होती है जिस पर विपक्षी, गवाहान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार विपक्षी यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल आदेश 2005, सॉल्वेंट, रेफिनेट एण्ड स्लॉक आदेश 2000 एवं नाफ्ता आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा लोहे के 2 ड्रम एवं जिनमें कुल 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर अप्रार्थी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से दिनांक 20.07.2023 को अप्रार्थी से अभिग्रहित दो लोहे ड्रम 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, को राजसात किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 20.07.2023 को विपक्षी से अभिग्रहित दो लोहे ड्रम 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त 2 लोहे के ड्रम एवं 240 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.01.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official